

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल,महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं.पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/10

दिनांक: 02.01.2024

प्रति, सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं. - 01/2024

विषय:- Fixation of pay of Running staff on promotion to the 'General Posts' clarification-reg.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.E(P&A)II/2022/RS-2-Part(1) दिनांकः 29.12.2023, RBE No.149/2023 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था: –

豖.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(P&A)II/2022/RS-2 dt.20.02.2023, RBE No.34/2023	53/2023

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: –

Web-site- *

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न: - यथोक्त.

उप मुख्यकार्मिकअधिकारी(औ:सं.) कृतेप्रधानमुख्यकार्मिकअधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. E(P&A)II/2022/RS-2-Part(1)

RBE No.\49/2023 New Delhi dt. 29.12.2023

The General Manager/CAOs,
All Indian Railways & Production Units

Sub: Fixation of pay of Running staff on promotion to the 'General Posts' clarifications - req.

Ref: Railway Board's letter dated 20.02.2023 (RBE No. 34/2023).

Please refer Board's letter cited above whereby it was advised that in absence of specific orders from the Board to this effect, the benefit of reckoning of 30% pay element for the purpose of fixation of pay of running staff on their promotion/appointment to the posts filled through General Selection is not admissible. Further, the General Selection is voluntary in nature and the concerned staff is aware of the mode of fixation of pay on promotion/appointment to a post under General Selection. Hence in such cases, pay fixation has to be effected without taking into account the 'pay element'.

- 2. Subsequent to issue of the aforesaid letter dated 20.02.2023 (RBE No. 34/2023), references had been received from Zonal Railways seeking clarifications about action taken in past cases as the date of implementation of the said letter is silent.
- 3. The matter has been examined in Board's office and it has been decided by the Board that Board's letter dated 20.02.2023 (RBE No. 34/2023) is to be implemented with prospective effect i.e. from the date of issue of the letter and past cases decided otherwise, need not be reopened.
- 4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version is enclosed.

(Gaurav Puri)
Joint Director, E(P&A)
Railway Board
Tele No. – 011-47845119
Email ID: gaurav.rb1@gov.in
New Delhi dt.29.12.2023

No. E(P&A)II/2022/RS-2-Part(1)

1. Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

2. The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 4-9 /2023 नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2023

सं. ई (पीएंडए)॥-2022/आरएस-2-पार्ट (1)

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: 'सामान्य पदों' पर पदोन्नति पर रिनंग स्टाफ का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.02.2023 का पत्र (आरबीई सं. 34/2023)

कृपया वोर्ड के ऊपर उद्धृत पत्र का अवलोकन करें, जिसमें यह सूचित किया गया है कि इस आशय के लिए बोर्ड से विशिष्ट आदेशों के अभाव में, सामान्य चयन के माध्यम से भरे गए पदों पर उनकी पदोन्नति/नियुक्ति पर रिनंग स्टाफ के वेतन के निर्धारण के उद्देश्य से 30% वेतन तत्व की गणना का लाभ स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा सामान्य चयन स्वैच्छिक प्रकृति का है और संबंधित कर्मचारी सामान्य चयन के तहत किसी पद पर पदोन्नति/नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के तरीके से अवगत हैं। इसलिए ऐसे मामलों में, 'वेतन तत्व' को ध्यान में रखे बिना वेतन निर्धारण किया जाए।

- 2. दिनांक 20.02.2023 (आरबीई संख्या 34/2023) के उपरोक्त पत्र के जारी होने के पश्चात, क्षेत्रीय रेलों से पिछले मामलों पर की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संदर्भ प्राप्त हुए थे क्योंकि उक्त पत्र के कार्यान्वयन की तिथि स्पष्ट नहीं है।
- 3. इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच करवाई गई है एवं बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड के दिनांक 20.02.2023 (आरबीई संख्या 34/2023) के पत्र को संभावित प्रभाव से अर्थात पत्र जारी होने की तारीख से लागू किया जाएगा और पिछले अन्यथा तय मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।

जील पुरी

(गौरव पुरी) संयुक्त निदेशक, ई (पीएंडए) रेलवे बोर्ड टेलीफोन नं. -011-47845119 ई-मेल आईडी-gaurav.rb1@gov.in

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2023

सं. ई (पीएंडए)II-2022/आरएस-2-पार्ट (1)

1. प्रतिलिपि प्रेषित भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

Jac

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड